



[www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in)

## भारतीय मानक ब्यूरो

### उपभोक्ता फुटवियर और फुटवियर घटकों के सूक्ष्म और लघु निर्माताओं के लिए निरीक्षण और परीक्षण की योजना को वैकल्पिक बनाया गया

हमारा संदर्भ: सीएमडी-2/जी-94

14 09 2023

निम्नलिखित उपभोक्ता फुटवियर और फुटवियर घटक उत्पादों के उत्पाद मैनुअल को निम्नलिखित आवश्यकताओं के संबंध में **सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए निरीक्षण और परीक्षण योजना (एसआईटी) के अनुपालन को वैकल्पिक बनाने के लिए** संशोधित किया गया है।

**खंड 1 (प्रयोगशाला):** अर्थात् उपयुक्त रूप से सुसज्जित और कर्मचारियों वाली प्रयोगशाला बनाए रखने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है

**खंड 2 (परीक्षण रिकॉर्ड):** यानी परीक्षण रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है

**खंड 4 (नियंत्रण इकाई) और खंड 5 (नियंत्रण के स्तर)** यानी नियंत्रण के स्तरों के तहत बताए अनुसार परीक्षण करना अनिवार्य नहीं है

2. ये परिवर्तन निम्नलिखित उत्पादों के उत्पाद मैनुअल में किए गए हैं

क) सैंडल और स्लीपर (आईएस 6721:2023)

बी) हवाई चप्पल (आईएस 10702:2023)

ग) स्पोर्ट्स फुटवियर (आईएस 15844:2010, आईएस 15844 (भाग 1):2023, आईएस 15844 (भाग 2):2023))

घ) रबर सोल वाले कैनवास जूते और बूट (आईएस 3735:1996, आईएस 3736:1995)

ई) मोल्डेड सॉलिड रबर सोल और हील्स (आईएस 5676: 1995)

च) तलवों और एड़ी के लिए रबर माइक्रोसेलुलर शीट (आईएस 6664: 1992)

छ) ठोस पीवीसी तलवे और एड़ी (आईएस 6719: 1972)

ज) पॉलीयुरेथेन सोल, अर्धकठोर (आईएस 13893: 1994)

**3. हालांकि, सभी इकाइयां अपने उत्पादों का भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी और क्लाज 3 (पैकिंग और मार्किंग) और क्लाज 6 (अस्वीकृति) के संबंध में एसआईटी की आवश्यकताओं का सभी द्वारा पालन किया जाएगा।**

कृपया उपरोक्त उत्पादों के लिए उत्पाद मैनुअल देखें जहां उत्पाद के लिए उपरोक्त उल्लेख किया गया है। उत्पाद मैनुअल को बीआईएस वेबसाइट ([www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in)) से <https://www.bis.gov.in/product-certification/product-special-information-2/product-manualsmk/> के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया सेंट्रल मार्क्स डिपार्टमेंट-2 बीआईएस से [cmd2@bis.gov.in](mailto:cmd2@bis.gov.in) पर संपर्क करें।

\*\*\*



[www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in)

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

**SCHEME OF INSPECTION AND TESTING MADE OPTIONAL FOR MICRO AND SMALL SCALE MANUFACTURERS OF CONSUMER FOOTWEAR AND FOOTWEAR COMPONENTS**

Our Ref: CMD-2/G-94

14 09 2023

1. This is to inform that product manuals of the following consumer footwear and footwear components products have been revised in order to **make compliance to the Scheme of Inspection and Testing (SIT) OPTIONAL for Micro, and Small Scale Units** with respect to the following requirements of the SIT

**Clause 1(Laboratory):** i.e. requirement of maintaining a suitably equipped and staffed lab is not compulsory

**Clause 2 (Test records):** i.e. requirement of maintaining test records is not compulsory

**Clause 4 (Control Unit) and Clause 5 (Levels of Control)** i.e. Conducting tests as indicated under levels of control is not compulsory

2. These changes have been made in the product manuals of the following products

- a) Sandals and Slippers (IS 6721:2023)
- b) Hawai chappals (IS 10702:2023)
- c) Sports Footwear (IS 15844:2010, IS 15844 (Part 1):2023, IS 15844 (Part 2):2023))
- d) Canvas Shoes and Boots with Rubber sole (IS 3735:1996, IS 3736:1995)
- e) Moulded solid rubber soles and heels (IS 5676: 1995)
- f) Rubber microcellular sheets for soles and heels (IS 6664: 1992)
- g) Solid PVC soles and heels (IS 6719: 1972)
- h) Polyurethane sole, semirigid (IS 13893: 1994)

**3.. However, ALL units shall ensure compliance of their products to the requirements of the Indian Standard and the requirements of SIT with respect to Clause 3 (Packing and Marking) and Clause 6 (Rejection) shall be followed by all.**

Please refer to the product manuals for the above products where the above has been mentioned for the product as above. Product manuals can be accessed from BIS website ([www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in)) through: <https://www.bis.gov.in/product-certification/product-specific-information-2/product-manualsmk/>

In case of any queries, please contact Central Marks Dept-2 BIS at [cmd2@bis.gov.in](mailto:cmd2@bis.gov.in)

\*\*\*